अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2016

सा.का.नि. 300(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 211 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गभीर धोखाधड़ी अन्वेषण कार्यालय, कंपनी कार्य विभाग, समूह 'ख' अराजपत्रित पद सहायक भर्ती नियम, 2004 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है कारपोरेट कार्य मंत्रालय के गभीर कपट अन्वेषण कार्यालय में सहायक और कार्यालय अधीक्षक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, सहायक और कार्यालय अधीक्षक भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना – ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से सतंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि–भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**-जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.-इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा मे छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. सहायक	06* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपए ग्रेड वेतन 4200 रुपए	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(6)	(7)	(8)	(9)
तीस वर्ष से अधिक नहीं टिप्पण 1. केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: आयु-सीमा अवधारित करने	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री; (ii) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा प्रकल्पित कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षण (वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेड शीट और स्लाइड तैयार करने में) टिप्पण 1 : अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग अपने विवेक से, कारणों को लिखित में	लागू नहीं होता।	दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण। सफलतापूर्वक पूरा करने के अधीन

के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	अभिलेखित करते हुए, अभियोग्यताओं में छूट दे सकता है। टिप्पण 2: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हत अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		रहते हुए दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियो द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी: (ग) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, 5200-20,200 रुपए + ग्रेड वेतन 2800 रुपए के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा है; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, 5200-20,200 रुपए + ग्रेड वेतन 2400 रुपए के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री; (ii) प्रशासन और स्थापना मामलों में दो वर्ष का अनुभव सहित वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेड शीट और स्लाइड तैयार करने में कंप्यूटर में प्रवीणता टिप्पण: (i) प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। (ii) प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे (1) निदेशक, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय -अध्यक्ष (2) अपर निदेशक, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय -सदस्य (3) उप सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. कार्यालय अधीक्षक	2* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपए, ग्रेड वेतन 4600 रुपए	चयन

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति: वेतन बैंड-2, 9300-34,800 रुपए + ग्रेड वेतन 4200 रुपए में ऐसे सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण: 1. जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलातपूर्वक पूरी कर ली हो। 2. प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1.1.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34,800 रुपए ग्रेड वेतन 4200 रुपए के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री; और प्रशासन, स्थापना और लेखा मामलों में दो वर्ष का अनुभव है।

टिप्पण:

(i) पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए तैयार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(ii) प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(iii) प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: (1) निदेशक, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय -अध्यक्ष (2) अपर निदेशक, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय -सदस्य (3) उप सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-35011/28/2009-प्रशा.III]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2016

G.S.R. 300(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 211 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), and in supersession of the Serious Fraud Investigation Office, Department of Company Affairs Group "B" Post non-Gazetted Assistant Recruitment Rules, 2004, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant and Office Superintendent in the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, namely: -

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Assistant and Office Superintendent, Recruitment Rules, 2016.

   (2) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in the column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**-The number of said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**-The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualifications.**-No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal Law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**-Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**-Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Assistant.	06* (2016) *Subject to variation dependent on the workload.	General Central Service, Group-'B' Non-Gazetted, Ministerial.	Pay band-2. Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200.	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not exceeding thirty years. Note-1: Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note-2: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of	(i) Bachelor's Degree from a recognised university; (ii) Computer Proficiency Test (in word processing, spread sheet and generation of slides) as devised by Staff Selection Commission. **Note 1- Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well-qualified.** **Note 2** – The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities	Not applicable	Two years subject to successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.

Chamba District of Himachal Pradesh. The Union Territories of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	possessing the requisite experience are not likely to be available to fill-up the vacancy reserved for them.	

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(10)	(11)
By deputation failing which by direct recruitment.	**Deputation :** **Officers from the Central Government :** **(A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department: or** **(ii) with Six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2800 or equivalent in the parent cadre or department; or** **(iii) with Ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2400 or equivalent in the parent cadre or department : and** **(B) (i) possessing the following qualification and experience as under:** **(ii)Bachelor's Degree from a recognised university;** **(iii) Two years' experience in administration and establishment matters with computer proficiency in word processing, spread sheet and generation of slides.** **Note:** **(i) The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three yeaRs. The maximum Age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.** **Note (ii): For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post[s] for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.**

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)		(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:		Consultation with Union Public Service Commission not necessary.
(1) Director, Serious Fraud Investigation Office	Chairman;	
(2) Additional Director, Serious Fraud Investigation Office	- Member;	
(3) Deputy Secretary, Ministry of Corporate Affairs	– Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Office Superintendent.	02 * (2016) *Subject to variation dependent on the workload.	General Central Service, Group-'B' Gazetted, Ministerial.	Pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4600.	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
By promotion failing which by deputation.	Promotion : Assistants in pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200 with five years' regular service in the grade. **Note 1 – Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are, being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is** less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.** **Deputation :** Officers from the Central Government : **(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or** (ii) with Five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band 2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre or department; and **(b) possessing a Bachelor's Degree from a recognised university and with two years' experience in administration and establishment and accounts matters.** **Note:** **(i) The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.** **(ii) The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum Age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.** **(iii) For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay** structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post[s] for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : - (1) Director, Serious Fraud Investigation Office – Chairman; (2) Additional Director, Serious Fraud Investigation Office – Member; (3) Deputy Secretary, Ministry of Corporate Affairs – Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-35011/28/2009-Adm.III]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

व्याख्या की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।